



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228746
CG-DL-E-04082021-228746

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2901]
No. 2901]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2021/श्रावण 13, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021/SHRAVANA 13, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2021

का.आ. 3127(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में मैसर्स पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पीआईएल) की पाइपलाइनों के उपयोगकर्ता का अधिकार (आरओयू) प्रबंधन के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत डॉ. अपूर्व शर्मा, उप समाहर्ता, सिलवासा, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली को सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/41/2016-जीपी-II]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd August, 2021

S.O. 3127(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Dr. Apurva Sharma, Deputy Collector, Silvassa, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Right of User (RoU) management of M/s. Pipeline Infrastructure Limited (PIL) Pipelines in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/41/2021-GP-II]

RAKESH MISHRA, Under Secy.